संख्या-40/2015/1778/सैंतीस-2-2015-1(21)/12

प्रेषक,

चन्द्रकान्त पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-25 जून, 2015

विषयः- **पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जि.यो.) अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-167/सा0-1/एक्स-120(187)06(जि.यो.)/2015-16, दिनांक-19.06.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) के अन्तर्गत निम्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-905.40 लाख (रूपये नौ करोड पांच लाख चालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरणानुसार श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करते हैं कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 की जिला योजनाओं के लिये जनपदवार परिव्यय निर्धारित होने पर जारी स्वीकृति को आवंटित परिव्यय में समायोजित किया जायेगा और तदनुसार संबंधित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा:-

मानक मद	स्वीकृत धनराशि (हजार में)
01-वेतन	40998.00
03-मंहगाई भत्ता	44358.00
06-अन्य भत्ते	5184.00
योग-	**90540.00**

(रूपये नौ करोड पांच लाख चालीस हजार मात्र)

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0 06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी पशुओं को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु नियमानुसार धनराशि व्यय करते हुए तत्काल उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4- स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, पशुपालन/संबंधित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का होगा।

5- किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न किया जाय। जहां तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

6- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7- वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

8- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(**चन्द्रकान्त पाण्डेय**)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-40/2015/1778(1)/सैंतीस-2-2015- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक/वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(**रणविजय सिंह**)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-40/2015/1778/सैंतीस-2-2015-1(21)/12, दिनांक-25 जून, 2015 का संलग्नक-

पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) (2015-16) सामान्य (धनराशि हजार में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	योग
1	2	3	4	5	6
1	मथुरा	321	385	147	**853**
2	मैनपुरी	3640	4150	150	**7940**
3	हाथरस	2218	2506	210	**4934**
4	मेरठ	619	782	79	**1480**
5	उन्नाव	1597	1804	3401	**6802**
6	लखनऊ	700	792	75	**1567**
7	हरदोई	3828	4026	183	**8037**
8	औरैया	972	1181	70	**2223**
9	कन्नौज	304	347	70	**721**
10	चन्दौली	300	352	20	**672**
11	अलीगढ	434	492	4	**930**
12	सम्भल	2202	1810	100	**4112**
13	महोबा	588	629	28	**1245**
14	फर्रूखाबाद	1316	1572	0	**2888**
15	झांसी	726	879	19	**1624**
16	फतेहपुर	410	553	20	**983**
17	बलिया	1076	1252	60	**2388**
18	भदोही	396	475	0	**871**
19	वाराणसी	641	725	16	**1382**
20	एटा	5463	6221	0	**11684**
21	कासगंज	1520	1728	0	**3248**
22	बरेली	208	222	28	**458**
23	गोरखपुर	1455	1750	5	**3210**
24	बुलन्दशहर	436	456	22	**914**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

25	मुजफफरनगर	835	960	40	**1835**
26	शाहजहांपुर	252	300	16	**568**
27	हमीरपुर	1132	20	15	**1167**
28	रायबरेली	1000	1200	52	**2252**
29	जौनपुर	326	375	14	**715**
30	गाजीपुर	1260	1512	63	**2835**
31	बागपत	1250	1415	54	**2719**
32	सुल्तानपुर	276	331	0	**607**
33	आजमगढ	551	590	26	**1167**
34	चित्रकूट	252	297	0	**549**
35	कानपुर देहात	120	144	60	**324**
36	बलरामपुर	512	20	50	**582**
37	इटावा	824	932	33	**1789**
38	बस्ती	1038	1173	54	**2265**
योग-		**40998**	**44358**	**5184**	**90540**

(रूपये नौ करोड पांच लाख चालीस हजार मात्र)

(रणविजय सिंह)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।